# लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

## मैनुअल संख्या – 7

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4(1)(ख)(VII))

## किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं

**सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था**

उत्तरांचल शासन ने भारत सरकार द्वारा संचालित सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिये लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के कियान्वयन एवं रख–रखाव में जल उपभोक्ता समूह की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया एवं प्रमुख सचिव एवं आयुक्त उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं0 338 / ।।–2004 / 2005 लघु सिंचाई विभाग दिनांक देहरादून 31.03.2005, शासनादेश सं0 144 / ए.पी.एस. / ल.सिं. / 2005 ग्राम्य विकास, पंचायतीराज एवं लघु सिंचाई विभाग देहरादून दिनांक 27.07.2005 एवं शासनादेश संख्या संख्या 1373 / ।।–2004–14(05) / 2005 दिनांक 05–09–2008 के द्वारा लघु सिंचाई योजनओं के चिन्हीकरण व गठन आदि के सम्बन्ध में ग्रामसभा स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर व जिला पंचायत स्तर पर इस संवैधानिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निम्न दिशानिर्देश दिये गये हैं :–

## जिला सैक्टर एवं राज्य सैक्टर

### (अ) ग्राम सभा स्तर

**(I)** सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं का चिन्हीकरण ।

**(II)** सिंचाई परियोजना स्थल चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में, लघु सिंचाई विभाग के मानको के अनुसार (मानक विभाग उपलब्ध करायेगा)।

**(III)** सिंचाई परियोजनाओं का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना निम्न प्रकार उपलब्ध कराना।

**(क)** प्रतिवेदित क्षेत्रफल हैक्टेयर में।

**(ख)** गूल / पाईप लाइन की लम्बाई कि0मी0 में।

**(ग)** हौज की संख्या एवं आकार (लम्बाई X चौड़ाई मीटर में)

**(घ)** हाईड्रम की संख्या।

**(ड़)** वीयर की संख्या तथा लम्बाई मीटर में।

**(च)** आर्टीजन / पम्पसेट का विवरण।

**(छ)** मरम्मत की आवश्यकता का विवरण।

प्रारूप विभाग द्वारा तय किया जायेगा।

**(IV)** बिन्दु **III** के अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाना ( सरल प्रारूप में) प्रारूप विभाग उपलब्ध करायेगा।

**(V)** एकल योजना का प्रस्ताव प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित जिला पंचायत को प्रेषित किया जायेगा।

**(VI)** जिला पंचायत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त लघु सिंचाई उपभोक्ता उपसमिति का गठन किया जायेगा जिसका अध्यक्ष पदेन सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान होगा तथा जल प्रबन्धन समिति के सदस्य पदेन इस समिति के सदस्य होगे।

**(VII)** उपभोक्ता समूह परियोजना निर्माण पूर्ण होने से पूर्व 5 % धनराशि, अनुसूचित जाति तथा जनजाति की अवस्था में 3 % धनराशि उपसमिति के खाते में जमा करेगा, यह खाता ग्राम सभा के खाते से भिन्न होगा तथा योजना पूर्ण होने के दो वर्षो के बाद विभाग की अनुमति से सम्बन्धित योजना की मरम्मत पर व्यय करेगा। उपसमिति आवश्यकतानुसार जल कर का निर्धारण करेगी, जिससे योजना की सामान्य मरम्मत का कार्य सम्पन्न होगा।

**(VIII)** जिला पंचायत से जिला सेक्टर/राज्य सेक्टर की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम सभा लघु सिंचाई उपभोक्ता उपसमिति के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन/रख रखाव का कार्य लघु सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन तथा मानक के अनुसार करायेगी।

**(IX)** जिला पंचायत 25% अग्रिम सामग्री की व्यवस्था के अतिरिक्त उतने ही कार्यो/कार्य के भाग का भुगतान करेगी जो भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं।

**(X)** कार्य का मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता,लघु सिंचाई तथा प्रतिहस्ताक्षर सहायक अभियन्ता,लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा तथा निरीक्षण/पर्यवेक्षण विभाग के विभिन्न स्तर पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

**(XI)** समय–समय पर प्राप्त धनराशि को निर्धारित समय पर व्यय करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित ग्राम सभा का होगा।

## (ब) क्षेत्र पंचायत स्तर

**(I)** क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई आवश्यकताओं का चिन्हीकरण।

**(II)** क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभावित्न्त करने वाली सिंचाई योजनाओं का स्थलीय चयन क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक में लघु सिंचाई विभाग के मानको के अनुसार (मानक विभाग उपलब्ध करायेगा)

**(III)** सिंचाई परियोजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण विकास खण्ड में तैनात कनिष्ठ अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा। प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना निम्नप्रकार आवश्यक है।

**(क)** प्रतिवेदित क्षेत्रफल हैक्टेयर में।
**(ख)** गूल/पाईप लाइन की लम्बाई कि0मी0 में।
**(ग)** हौज की संख्या एवं आकार (लम्बाई X चौड़ाई मीटर में)
**(घ)** हाईड्रम की संख्या।
**(ड़)** वीयर की संख्या तथा लम्बाई मीटर में।

**(च)** आर्टीजन/पम्पसेट का विवरण।

**(छ)** मरम्मत की आवश्यकता का विवरण।

प्रारूप विभाग द्वारा तय किया जायेगा।

**(IV)** बिन्दु **III** के अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाना ( सरल प्रारूप में) प्रारूप विभाग उपलब्ध करायेगा।

**(V)** क्षेत्र के अन्तर्गत दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव (प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित) जिला पंचायत को प्रेषित किया जायेगा।

**(VI)** जिला पंचायत से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त सिंचाई परियोजना के सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पड़ने वाले भाग का क्रियान्वयन / रख रखाव उस ग्राम पंचायत के अन्तर्गत जल उपभोक्ता समिति द्वारा जिसका गठन क्षेत्र पंचायत की देख रेख में किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित ग्राम सभा के प्रधान तथा सदस्य परियोजना के उपभोक्ताओं के अतिरिक्त जल प्रबन्धन समिति के सदस्य पदेन सदस्य होगें।

**(VII)** उपभोक्ता समूह परियोजना निर्माण पूर्ण होने से पूर्व 5 % धनराशि, अनुसूचित जाति तथा जनजाति की अवस्था में 3 % धनराशि उपसमिति के खाते में जमा करेगा यह खाता ग्राम सभा के खाते से भिन्न होगा तथा योजना पूर्ण होने के दो वर्षो के बाद विभाग की अनुमति से सम्बन्धित योजना की मरम्मत पर व्यय करेगा। उपसमिति आवश्यकतानुसार जल कर का निर्धारण करेगी जिससे योजना की सामान्य मरम्मत का कार्य सम्पन्न होगा।

**(VIII)** जिला पंचायत से जिला सेक्टर/राज्य सेक्टर की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम सभा लघु सिंचाई उपभोक्ता उपसमिति के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन/रख रखाव का कार्य लघु सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन तथा मानक के अनुसार करायेगी।

**(IX)** जिला पंचायत 25% अग्रिम सामग्री की व्यवस्था के अतिरिक्त उन्हीं कार्यो/कार्य के भाग का भुगतान करेगी जो भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके है।

**(X)** कार्य का मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता,लघु सिंचाई तथा प्रतिहस्ताक्षर सहायक अभियन्ता,लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा तथा निरीक्षण/पर्यवेक्षण विभाग के विभिन्न स्तर पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

**(XI)** समय–समय पर प्राप्त धनराशि को निर्धारित समय पर व्यय करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित ग्राम सभा का होगा।

**(XII)** क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा तथा स्वीकृत प्राक्कलन के मानक के अनुसार कार्य कराने का दायित्व सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत का होगा।

## (स) जिला पंचायत स्तर

**(I)** जिले के अन्दर दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई आवश्यकताओं का चिन्हीकरण।

**(II)** जिले के अन्दर दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई परियोजनाओं का स्थलीय चयन लघु सिंचाई विभाग के जनपद के तकनीकी अधिकारियों की सहायता से किया जायेगा।

**(III)** सिंचाई परियोजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना निम्न प्रकार तैयार की जायेगी।

**(क)** प्रतिवेदित क्षेत्रफल हैक्टेयर में।

**(ख)** गूल/पाईप लाइन की लम्बाई कि0मी0 में।

**(ग)** हौज की संख्या एवं आकार (लम्बाई X चौड़ाई मीटर में)

**(घ)** हाईड्रम की संख्या।

**(ड़)** वीयर की संख्या तथा लम्बाई मीटर में।

**(च)** आर्टीजन/पम्पसेट का विवरण।

**(छ)** मरम्मत की आवश्यकता का विवरण।

प्रारूप विभाग द्वारा तय किया जायेगा।

**(IV)** बिन्दु **III** के अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाना (सरल प्रारूप में) प्रारूप विभाग उपलब्ध करायेगा।

**(V)** ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों से प्राप्त (प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित) प्रस्ताव तथा जिला पंचायत द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव की सूची जिला पंचायत की खुली बैठक

में रखी जायेगी जिसमें योजनाओं का चयन किया जायेगा तथा चयनित योजनाओं की सूची (प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित) लघु सिंचाई विभाग के जनपद स्तर के तकनीकी अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका विस्तृत प्राक्कलन विभाग द्वारा तैयार कर जिला पंचायत को उपलब्ध कराया जायेगा।

**(VI)** जिला पंचायत द्वारा उतनी ही योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जायेगी जितना परिव्यय जिला पंचायत को सूचित किया गया है।

**(VII)** जिला सेक्टर एवं राज्य सेक्टर की योजनाओं के निर्माण हेतु धनांवटन शासन द्वारा जिला पंचायत को किया जायेगा, जिला पंचायत द्वारा एकल ग्राम पंचायत वाली परियोजओं का धनांवटन सम्बन्धित ग्राम पंचायत, क्षेत्र के अन्दर एक से अधिक ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली योजनाओं का धनांवटन क्षेत्र पंचायत को तथा जिले में एक क्षेत्र पंचायत से अधिक क्षेत्र पंचायत को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं का संचालन अपने स्तर से किया जायेगा।

## केन्द्रपुरोनिधानित एवं वाह्य सहायतित योजनायें

योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन तथा रख रखाव भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देश तथा मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

******